

बिहार सरकार  
ग्रामीण कार्य विभाग

शुद्धि पत्र

ज्ञापांक :- 06 / अ०प्र०-०१-०२ / २०२०

| १९७ |

पटना, दिनांक १३.०४.२०२०

विभागीय अधिसूचना संख्या -90 सहपठित ज्ञापांक ९३ दिनांक १३.०४.२०२० पर अंकित श्री  
सुरेश प्रसाद सिंह के स्थान पर श्री सुरेश कुमार सिंह पढ़ा जाय।  
शेष तथ्य यथावत रहेंगे।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

X/प/  
(विधीय कुमार)  
सरकार के सचिव

ज्ञापांक-6 / अ०प्र०-१-०२ / २०२०

| १९७ |

पटना, दिनांक-१३.०४.२०२०

प्रतिलिपि:- अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को सूचनार्थ एवं  
आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

X/प/  
सरकार के सचिव

ज्ञापांक-6 / अ०प्र०-१-०२ / २०२०

| १९७ |

पटना, दिनांक-१३.०४.२०२०

प्रतिलिपि:- महालेखाकार, बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/प्रभारी पदाधिकारी  
(वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

X/प/  
सरकार के राजिव

ज्ञापांक-6 / अ०प्र०-१-०२ / २०२०

| १९७ |

पटना, दिनांक-१३.०४.२०२०

प्रतिलिपि:- संबंधित कोषागार/उप कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक  
कार्यार्थ प्रेषित।

X/प/  
सरकार के सचिव

ज्ञापाक-6 / ०५प्र०-१-०२/२०२०

१७७

पटना, दिसंक- २७.८.२०२०

प्रतिलिपि:- माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव/ माननीय विभागीय मंत्री के आधि सचिव/ मुख्य सचिव, बिहार, पटना/ प्रधान सचिव/ सचिव, योजना एवं विकास विभाग/ जल संसाधन विभाग/ लघु जल संसाधन विभाग/ पथ निर्माण विभाग/ भवन निर्माण विभाग/ वितरण विभाग/ ग्रामीण कार्य विभाग/ पंचायती राज विभाग/ नगर विकास एवं आवास विभाग/ सभी विभाग/ ग्रामीण कार्य विभाग/ संबंधित प्रमण्डलीय आयुक्त/ जिलाधिकारी विभागाध्यक्ष/ अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग/ संबंधित प्रमण्डलीय आयुक्त/ जिलाधिकारी विभाग/ अभियंता/ सभी मुख्य अभियंता/ सभी अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य/ उप विकास आयुक्त/ सभी मुख्य अभियंता/ सभी अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य/ उप विकास आयुक्त/ सभी मुख्य अभियंता/ सभी अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य/ उप विकास आयुक्त/ सभी मुख्य अभियंता/ सभी अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य/ संबंधित कार्यपालक अभियंता/ आई०टी० मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थी एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

१. इस अधिसूचना के निर्गत होने के साथ ही उपर्युक्त पदस्थापन स्थान के संबंध में पूँछ में निर्गत अन्य अधिसूचना/ कार्यालय आदेश/ निदेश विलोपित समझे जायेंगे।
२. (क) यदि इस अधिसूचना में कोई भूल अथवा टंकण आदि की त्रुटि परिलक्षित हो तो सीधे सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग को संबोधित कर शुद्धिपत्र निर्गत करने का अनुरोध किया जाए।  
(ख) संबंधित कार्यपालक अभियंता अपने नव पदस्थापित स्थान पर अविलम्ब योगदान देकर प्रभार ग्रहण करेंगे।  
(ग) नव पदस्थापित स्थान पर प्रभार मिलने में अग्र कोई कठिनाई हो तो विभागीय सचिव से सीधे सम्पर्क स्थापित कर वस्तुस्थिति से उन्हें अवगत कराया जाय।  
(घ) स्थानान्तरण आदेश के अनुपालन में किसी प्रकार की कोताही या विवाद अनुशासनहीनता मानी जायेगी।  
(ङ.) इस अधिसूचना के सभी पृष्ठ सचिव के द्वारा हस्ताक्षरित है।

सरकार के सचिव